बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
संकल्प

संख्या-11/आ०3-1019/2025- 65 पटना, दिनांकः- 12/01/26

जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा आयोजित बैठक में पूर्व सूचना रहने के बावजूद भाग नहीं लेने, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई द्वारा निदेशित किये जाने के बावजूद संवेदक मेसर्स ए. के. कन्स्ट्रक्शन, जमुई द्वारा कराये जा रहे खैरा ग्रामीण पाईप जलापूर्त्ति योजना के पुनर्गठन कार्य से संबंधित अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्यो के भुगतान हेतु माप-पुस्त की जाँच कर अग्रेत्तर कार्रवाई नहीं करने, CGRC Portal/डॉ० अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान/महिला संवाद के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का ससमय निष्पादन नहीं करने, बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2025 हेतु जिला पदाधिकारी, जमुई के स्तर से आयाजित बैठक में भाग नहीं लेने, वरीय पदाधिकारियों द्वारा निदेशित किये जाने के बावजूद PHED/PRD योजनाओं में छुटे हुए घरों एवं अक्रियाशील गृह जल संयोजन हेतु स्थल निरीक्षण नहीं करने तथा बिना सूचना के कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने के आरोप में श्री प्रवीण कुमार, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सिकन्दरा, प्रमंडल-जमुई के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-2225, दिनांक-17.10.2025 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी।

02. विभागीय निदेश के आलोक में श्री कुमार के पत्रांक-148, दिनांक-30.10.2025 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया। विभाग द्वारा श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी एवं समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि श्री कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में जिला पदाधिकारी, जमुई के माह अगस्त, 2025 का अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित कार्यो की समीक्षा पूर्व से निर्धारित होने एवं व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किये जाने के बावजूद उक्त बैठक में भाग नहीं लेने के संबंध में बताया गया कि व्हाट्सएप संबंधित मोबाईल में तकनीकी रूप से स्क्रीन खराबी था, जिससे उन्हें सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। इससे संबंधित सूचना कार्यपालक अभियंता को मौखिक रूप से दे दी गई थी। विभागीय मोबाइल नंबर-8544428987 प्रदान किया गया है, जिस पर किसी प्रकार का व्हाट्सएप मैसेज अप्राप्त है।श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि उनका कार्यपालक अभियंता एवं प्रमंडलीय कार्यालय के पदाधिकारी एवं अन्य कर्मी से कोई समन्वय नहीं है। अतएव श्री कुमार का बचाव-बयान स्वीकार योग्य नहीं है।

03. संवेदक द्वारा कराये जा रहे खैरा ग्रामीण पाईप जलापूर्त्ति योजना का पुनर्गठन कार्य से संबंधित O&M कार्य के भुगतान हेतु माप-पुस्त को जाँच कर अग्रेतर कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्री कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि पूर्व पदस्थापित कनीय अभियंता श्री रविरंजन द्वारा विपत्र दिनांक-27.08.2024 को तैयार कर उनसे पूर्व पदस्थापित सहायक अभियंता सुश्री खुशी कुमारी को समर्पित किया गया

था। इस संबंध में किसी प्रकार का मौखिक एवं लिखित सूचना उन्हें नहीं दी गई थी। यह मामला उनके संज्ञान में आने के बाद वर्त्तमान में पदस्थापित कनीय अभियंता श्री मुकेश कुमार द्वारा जाँच कर विपत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर दिनांक-20.08.2025 को समर्पित किया गया, जिसे उनके द्वारा दिनांक-21.08.2025 को अग्रेतर कार्रवाई हेतु जाँच कर प्रमंडल को भेज दिया गया। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि अवर प्रमंडलीय कार्यालय पर श्री कुमार का समुचित नियंत्रण नहीं है। अतएव श्री कुमार का बचाव-बयान स्वीकार योग्य नहीं है।

04. जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा आगामी बिहार विधान सभा चुनाव, 2025 की तैयारी के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर AMF की व्यवस्था कराने हेतु दिनांक-03. 09.2025 को एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, परन्तु उक्त बैठक में भी अनुपस्थित पाये जाने के संबंध में श्री कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि उन्हें मोबाईल खराब होने के कारण सूचना प्राप्त नहीं हो पाया था। इस स्थिति में वे बैठक में भाग नहीं ले सके। चुनाव के मद्देनजर प्राप्त निर्देशों के आलोक में सभी आवश्यक कार्य संपादित करा दिया गया है, जिसकी संपुष्टि जिला स्तर से की जा सकती है। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि उनका कार्यपालक अभियंता एवं प्रमंडलीय कार्यालय के पदाधिकारी एवं अन्य कर्मी से कोई समन्वय नहीं है। श्री कुमार का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

05. ''हर घर नल का जल'' योजना के तहत पूर्व से निर्मित PHED एवं PRD योजनाओं में छूटे हुए घरों एवं अक्रियाशील योजनाओं में स्थल सर्वेक्षण का निर्देश दिये जाने के बावजूद श्री कुमार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जिसके कारण सही आँकड़ों का संकलन नहीं हो पा रहा है, के संबंध में श्री कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि ''हर घर नल का जल'' योजना के अंतर्गत छूटे हुए टोलों का घरों में कराये गये कार्यो का विपत्र पारित कर भुगतान किया जा रहा है। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण में प्रतिवेदित आरोप के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। अपितु कराये गये कार्यो के विपत्र के भुगतान के संबंध में बाते कही गयी है, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

06. बिना सूचना के अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने एवं कनीय अभियंताओं को अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं करने के संबंध में श्री कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि उन्हें सभी माह का पूर्ण वेतन भुगतान किया जा रहा है। अनुपस्थिति के स्थिति में उन्हें किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इस अवधि में अवर प्रमंडलीय स्तर पर किसी प्रकार का कार्य लंबित नहीं है।

CGRC पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों, डॉ० अंबेडकर समग्र सेवा अभियान एवं महिला संवाद से प्राप्त शिकायतों का ससमय निष्पादन नहीं किये जाने के संबंध में श्री कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि CGRC पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निष्पादन कनीय अभियंता स्तर से किया जाता है। उपरोक्त शिकायतों का निस्तारण

प्राप्त होने पर उच्च पदाधिकारियों को समर्पित कर दिया जाता रहा है। CGRC पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों, डॉ० अंबेडकर समय सेवा अभियान एवं महिला संवाद से प्राप्त शिकायतों का ससमय निष्पादन करा दिया गया है। कुछ तकनीकी खराबी यथा सर्वर एवं नेटवर्क के कारण ऐसी समस्या आ रही थी। तकनीकी पोर्टल पूर्ण रूप से/समुचित रूप से कार्य करने के उपरांत निराकरण करा दिया गया है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि CGRC Portal से दिनांक-17.12.2025 तक प्राप्त प्रतिवेदनानुसार लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सिकन्दरा अन्तर्गत कुल 72 अदद शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें 60 अदद शिकायतों का निष्पादन किया गया है एवं शेष 08 अदद शिकायतें अभी भी लंबित है। पूर्व से निष्पादित शिकायतों में से 14 अदद शिकायतों को Reopen किया गया है, जो अभी भी लंबित है। एक से अधिक बार Reopen किये गये शिकायतों की संख्या 03 अदद है। इसके अतिरिक्त 41 अदद शिकायतों का निष्पादन विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के पश्चात किया गया है। अतएव श्री कुमार का बचाव-बयान स्वीकार योग्य नहीं है।

07. उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि श्री प्रवीण कुमार, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सिकन्दरा, प्रमंडल-जमुई का कृत्य विभागीय स्तर से निर्गत परिपत्रों एवं संकल्पों में निहित निदेशों, बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता में वर्णित सुसंगत नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही उनका आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i), 3(1)(ii) एवं 3(1)(iii) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसके लिए श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया है।

08. एतदर्थ बिहार के राज्यपाल उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्रीमती पूजा कुमारी, बि०प्र०से०, विशेष कार्य पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते है।

09. आरोपित पदाधिकारी श्री कुमार, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जाँच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

10. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति अनुलग्नक सहित श्री प्रवीण कुमार, सहायक अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सिकन्दा, प्रमंडल-जमुई/जाँच संचालन पदाधिकारी श्रीमती पुजा कुमारी(बि०प्र०से०), विशेष कार्य पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)।

ज्ञापांक-11/आ०3-1019/2025- 65 पटना, दिनांक- 12/01/26

प्रतिलिपिः-वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)।

ज्ञापांक-11/आ०3-1019/2025- 65 पटना, दिनांक- 12/01/26

प्रतिलिपिः-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुंगेर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01/श्री प्रवीण कुमार, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सिकन्दरा/विभागीय आई.टी. मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)।